अनुदान संख्या 7 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	74264,67,00	94797,19,00	89788,56,81	-5008,62,19
पूरक	Supplementary	20532,52,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5008,60,88
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		4,00	..	-4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹500862.19 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2053252.00 लाख की पूरक अनुदानों का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹500862.19 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grants of ₹2053252.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	2023200.00	2224426.37	2224426.37	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	201225.37			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	5400000.00			
पू.	S.	2053251.00	6751250.00	6751250.00	..
पु.	R.	-702001.00			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "उर्वरक उद्योग – उर्वरक सहायिकी – यूरिया सहायिकी" के अंतर्गत ₹5400000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2053251.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7453251.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कम मात्रा में यूरिया का आयात किए जाने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹702001.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2852" - "Fertiliser Industries - Fertiliser Subsidy - Urea Subsidy" - the original provision of ₹5400000.00 lakhs was augmented to ₹7453251.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2053251.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹702001.00 lakhs - due to import of less Urea and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹201225.37 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2401" – "खाद और उर्वरक – पोषक तत्वों पर आधारित सहायिकी नीति" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹201225.37 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2401" - "Manures and Fertilisers - Nutrient Based Subsidy Policy".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹4.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा एवं अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹4.00lakhs remained wholly unutilized under four heads and was eventually surrendered.